

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 1976/पौष 24, 1897
No. 27] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 1976/PAUSA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th January, 1976

S.O. 36(B).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Third Amendment Order, 1976.
2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'B' after item No. 14(xiv) the following shall be added :
“(xv)—Barytes (Lumps and Powder)”.
3. In the Exports (Control) Order, 1968, in O.G.L. 4, after item No. 27 the following item shall be added :

1	2	3	4
28.	Barytes (Lumps and Powder)	B.14(xv)	Minerals & Metals Trading Corporation.

[No. E (C)O, 1968/AM (182)]

D. D. JOSHI,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1976

का० आ० 36(घ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1976 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची-1, भाग बी में मद संख्या 14(14) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“(15)—बैराइटिस (लम्प्स एवं पाउडर)।”

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में, खुले सामान्य लाइसेंस 4 में मद संख्या 27 के बाद निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
28	बैराइटिस (लम्प्स एवं पाउडर)	बी० 14 (15)	खनिज तथा धातु व्यापार निगम,

[संख्या ई(सी) ओ, 1968/ए एम (182)]

डी० डी० जोशी,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।